Renu Lalit
Renu Lalit
Advocate
Meenakshi
Advocate
9828273655
Tr. No. 4706

29/7/22

जयपुर शहर

प्रार्थी (प्रा.कु.) अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अभिभाषक (प्रा.कु.) अधिवक्ता प्रार्थिका वाद के विपक्षीगण के अनुसार वाद में बिल्डी किया गया है ऐसे में वाद बिल्डी होने से प्रार्थिका को अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना की जो औचित्य नहीं है अतः प्रार्थिका अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना किया जाना है। प्रार्थी की जानकारी बाद [illegible] दुबारा दायर होकर पालना दर्शाया है। निर्णय आज किया 29/7/2022 को पूर्व व्यवस्थानुसार पालना करावें।

अतिरिक्त कलक्टर (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 16:12:15 IST
Reason: SelfAttested